

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमशियल काम्पलेक्स, सैक्टर-ओमेगा, पी-2, ग्रेटर नोएडा सिटी- 201308

पत्रांक-4.8.1/Phg/BR-67/20180
दिनांक 01/05/2017

सेवा में,

मैसर्स गौरसन्स रियलटैक प्रा0 लि0

डी-25, विवके विहार,

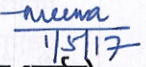
दिल्ली 110095

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक- 18/04/2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपके द्वारा भूखण्ड संख्या सी-15 पॉकेट-3 सैक्टर-19, यमुना एक्सप्रेसवे पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुत मानचित्रों पर सम्यक विचारोपरान्त भवन निर्माण की स्वीकृति मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मानचित्र की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जा रही है:-

1. यह मानचित्र दिनांक-30/03/2022 तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिकाए, यमुना प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का फेरबदल अनुमत्य नहीं होगा। किसी भी फेरबदल के लिये प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।
4. किसी भी कारण से यदि आवंटन निरस्त होता है तो मानचित्र स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
5. यदि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य अथवा अन्य कोई शुल्क माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के आपके द्वारा देय होगा।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी अन्य भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र की भवन विनियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा।
9. आवंटी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही सभी तलों का निर्माण किया जाएगा।
10. सड़क पर अथवा सर्विस लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण प्राधिकरण के परियोजना विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र दिनांक-30/03/2022 की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पटटेदार को पटटे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पटटे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पटटे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।
15. रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान प्राधिकरण तथा सम्बन्धित संस्थान के नियमों के अनुसार कराया जाना होगा।

meel

16. पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग आदि विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 17. शारिरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिये आवश्यक प्राविधान तथा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 18. सी-15, पॉकेट-3, सैक्टर 19 की सभी सर्विस का लेवल पूर्व में पॉकेट 3 सैक्टर-19 हेतु सत्यापित सर्विस के अनुसार रखा जाएगा।
 19. यदि आवश्यकता हो तो हेरिटेज स्थलों एवं प्राचिन स्मारकों को संरक्षित किये जाने के लिये **Ancient momunents, Archaeological sites and remains (Amondment & Validation) Act, 2010** के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 20. पॉकेट-03, सैक्टर-19 के भू-विन्यास मानचित्र हेतु स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
 21. स्थल पर तालाब/पोखर/झील होने की दशा में उसे नियोजन में समायोजित कर संरक्षित किया जायेगा।
 22. संस्था द्वारा ऐसी प्रस्तावित भूमि जिसका अभी संस्था को विधिवत हस्तान्तरण होना शेष है, अथवा वर्तमान तथा भविष्य में कोई विधिक अड़चन आती है तो उस पर कोई भी प्रस्ताव केवल नियोजन हेतु ही प्रतीकात्मक रूप से रहेगा, उस भूमि पर संस्था द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जाएगा।
 23. आवंटी द्वारा मानकों के अनुरूप एस.टी.पी. का निर्माण कर **functional** करना होगा।
 24. भूगर्भ जल विभाग/केन्द्रीय भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवंटी स्वयं लेंगे।
 25. एन0जी0टी एवं ई.पी.सी.बी. द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णय का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- संलग्नक- स्वीकृत मानचित्रों की प्रति।**


 (मीना भार्गव)
 महाप्रबन्धक-नियोजन

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव , मुख्य कार्यापालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक-नियोजन